न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 3 / 2023
जीसीएमएस नं. 2023 / 16

दायर दिनांक 06.02.2023
निर्णय दिनांक 28.05.2025

1. श्री वेलजी पिता कानजी मीणा, निवासी भटवाडा फला हीराखेडी तहसील साबला, जिला डूंगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री फतेंह सिंह पिता शम्भु सिंह राजपूत निवासी भटवाडा तहरील साबला जिला डूंगरपुर
2. श्रीमति सुनिता कुंवर पत्नि फतेह सिंह निवासी भटवाडा तहसील साबला जिला डूंगरपुर
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साबला जिला डूंगरपुर

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – 1. महेश जैन, अधिवक्ता – अपीलाण्ट
2. श्री संजीव भटनागर, अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट्स

–:निर्णयः– दिनांक –28.05.2025

1 .अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पाडेण्ट सं 1 व 2 एक की गावं के होकर दोनो की कृषि भूमि पास–पास है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने दिनांक 24.11.21 को मिसल न. 494 द्वारा fraud & misrepresentation कर मौजा भटवाडा का खसरा न. 512 मे से 0.2022 है0 कृषि भूमि का आवंटन प्रशासन गांवो के संग अभियान में करवा लिया। तत्कालीन आवंटन कमेटी तथा रेस्पोडेण्ट स. 1 व 2 एवं तत्कालीन पटवारी ने आवंटन नियमों का उल्लंधन करके आवंटन के लिये अनुपलब्ध भूमि का आवंटन गलत रूप से कर दिया। एक ही दिन दिनांक 24.11.2021 को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश हुआ, उसी दिन

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पटवारी ने बिना मौके पर गये विपक्षीगण से मिलीभगत कर गलत एवं औपचारिक रिपोर्ट कर दी तथा आवंटन कमेटी द्वारा उसी दिन आवंटन के आदेश कर दिये। आवंटन प्रार्थना पत्र पर सत्यापन का पैराग्राफ खाली है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि आवंटन कमेंटी ने रेस्पोडेण्ट को अनुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से आवंटन नियमो का उल्लघंन कर रेस्पोडेण्ट को गलत रूप से भूमि आवंटन कि हैं।

आवंटित भूमि आवंटन योग्य थी या नही , इसका भौतिक रूप से सत्यापन नही किया गया। वास्तव में खसरा नम्बर 512 की भौतिक रूप से भूमि खाली नही थी। उस पर प्रार्थी एवं उसके परिवार निरन्तर काबिज है। विपक्षीगण अपने उक्त अवैद्य आवंटन की आड में प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते है और कहते है कि कागजों मे तो हमने भूमि आवंटन करवा ली है किन्तु हम तुम्हारे खेतों पर कब्जा कर लेंगें। विपक्षीगण संख्या 1 एवं 2 को कथित रूप से आवंटित भूमि पर प्रार्थी एवं उसका परिवार बरसों से काबिज होकर काश्त कर रहा है । इस कारण उक्त भूमि को किसी भी प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति को आवंटित नही किया जा सकता था और न उक्त भूमि आवंटन के लिये खाली भूमि की श्रैणी में ही आती थी। अतः किसी भी सूरत में किसी भी प्रयोजनार्थ आंवटित नहीं की जा सकती थी। पटवारी द्वारा प्रतिवेदन भी झूठा बनाया गया। विपक्षीगण जाति से राजपुत होने के बावजूद क्रम संख्या 7 में पटवारी द्वारा प्रार्थित भूमि को बिना कब्जे की अंकित कर दिया जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं उसके परिवार का निरन्तर कब्जा है, ताकि प्रार्थी को आवंटन में प्राथमिकता नही मिले क्योंकि प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। इसके अलावा प्रतिवेदन की क्रम संख्या 21 में रकबा में 5 बार काट कर सुधार किया गया है जिस पर सरपंच एवं प्रधान के हस्ताक्षर किये जाने के बाद काट–छांट विपक्षी संख्या 3 एवं पटवारी द्वारा की गई है। विपक्षीगण को कभी भी उक्त भूमि का भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया, कब्जा सुपुर्दगी का पर्चा एवं रसीद में तारिख अंकित नही है तथा यह भी अंकित नही है कि किस व्यक्ति के समक्ष कब्जा सुपुर्द किया गया है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर पूर्व से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा वह उसकी निरन्तर पेनल्टी भी भरता रहा है। उसे कभी भी बेदखल नही किया गया है।

अपीलाण्ट एवं उसकी पत्नी ने वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन किया था किन्तु पटवारी ने रेस्पोडेण्ट से मिलीभगत कर गलत और स्वविरोधाभासी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें क्रम संख्या 13 में उक्त भूमि को सडक से निर्धारित दूरी पर होना अंकित किया तथा क्रम संख्या 22 अपने तरीके से नई अंकित कर दी और लिख दिया कि मौके पर विवादित है एवं सडक सीमा में है। एक ही खसरा नम्बर के लिये अलग अलग व्यक्तियों के लिये जानबूझ कर अलग अलग रिपोर्ट विपक्षीगण को अनुचित लाभ पहुँचाने एवं प्रार्थी को क्षति पहूँचाने की नीयत से की गई।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

रेस्पोडेण्ट स. 1 व 2 को कथित रूप से आवंटित भूमि का आवंटन के पूर्व किसी प्रकार का उद्घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया जबकि नियमों के अन्तर्गत उद्घोषणा पत्र जारी किया जाना आज्ञापक है। अतः आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही किये जाने के कारण किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करना संभव नही हुआ तथा विपक्षीगण ने चोरी छुपे राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों से मिलिभगत करके गलत रूप से आवंटन करवा ली जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट स. 1 व 2 के पक्ष में मौजा भटवाडा का खसरा न. 512 मे से 0.2022 है0 कृषि भूमि का आवंटन प्रशासन गांवो के संग अभियान में किया गया, को निरस्त किया जाने के आदेश फरमावें।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई। रेस्पोडेण्ट स. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव भटनागर द्वारा वकालतनामा पेश किया।

3 रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थी व विपक्षी एक ही गॉव के अवश्य है लेकिन दोनो की कृषि भूमि एक दम पास पास होना गलत है। वादग्रस्त भूमि खसरा न. 512 रकबा 0.2022 हे0 पर रेस्पोडेण्ट का पुराना कब्जा काश्त था जिस आधार पर प्रशासन गांवो के संग अभियान में नियमानुसार वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्ट को आवंटित की गई है। आवंटन के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। अपीलाण्ट ने अपनी दरखास्त में fraud & misrepresentation कैसे व किस प्रकार हुआ के सम्बन्ध में कोई तथ्य नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। प्रशासन गांवो की तरफ अभियान में दिनांक 24.11.21 को आवंटन कमेंटी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट का पुराना कब्जा एवं काश्त और पेनेल्टी रसीदो को देख नियमानुसार भूमि रेस्पोडेण्ट को अपीलाण्ट व समस्त गांव वासीयों के सामने आवंटित की है। अपीलांट ने आवंटन के समय किसी प्रकार कोई आपत्ती अथवा विरोध नहीं किया।

वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का कभी कब्जा नहीं रहा, वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्ट के कब्जे काश्त में थी जिस पर बरसौ से पेनल्टी भर काबिज चले आ कर निरन्तर उडद एवं तल की खेती करते आ रहे है तथा आज भी कर रहे है। वादग्रस्त भूमि के उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम दिशा तरफ रेस्पोडेण्ट का पत्थरों का परकोटा बना हुआ है, तथा दक्षिण तरफ रेस्पोडेण्ट के खाते का खसरा न. 511 की भूमि जूडी हुई है। रेस्पोडेण्ट द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना में भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

4. हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।

5. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट को दिनांक 24.11.21 को मिसल न. 494 द्वारा fraud & misrepresentation कर मौजा भटवाडा का खसरा न. 512 मे से 0.2022 है0 कृषि भूमि का आवंटन प्रशासन गांवो के संग अभियान में करवा लिया। तत्कालीन आवंटन कमेटी तथा रेस्पोडेण्ट स. 1 व 2 एवं तत्कालीन पटवारी ने आवंटन नियमों का उल्लंघन करके आवंटन के लिये अनुपलब्ध भूमि का आवंटन गलत रूप से कर दिया। आवंटन प्रार्थना पत्र पर तारीख अंकित नहीं है तथा सत्यापन का पैराग्राफ खाली है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि आवंटन कमेंटी ने रेस्पोडेण्ट को अनुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से आवंटन नियमो का उल्लघंन कर रेस्पोडेण्ट को गलत रूप से भूमि आवंटन कि हैं।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी और उसका परिवार काबिज होकर काश्त कर रहा है। इस कारण वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जा सकता था और न वादग्रस्त भूमि आवंटन के लिये खाली भूमि की श्रेणी में ही आती थी। अतः रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन निरस्त योग्य हैं । रेस्पोडेण्ट को कभी भी वादग्रस्त भूमि का भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया, कब्जा सुपुर्दगी का पर्चा एवं रसीद में तारीखों एवं अन्य काट–छाट की गई है तथा यह भी अंकित नहीं है कि किस व्यक्ति के समक्ष कब्जा सुपुर्द किया गया। अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा वह उसकी निरन्तर पेनल्टी भी भरता रहा है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलाण्ट एवं उसकी पत्नी ने वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन किया था किन्तु पटवारी ने रेस्पोडेण्ट से मिलीभगत कर गलत और स्वविरोधाभासी रिपोर्ट प्रस्तुत कि, रेस्पोडेण्ट स. 1 व 2 को कथित रूप से आवंटित भूमि का आवंटन के पूर्व किसी प्रकार का उद्घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया जबकि नियमों के अन्तर्गत उद्घोषणा पत्र जारी किया जाना था। वादग्रस्त भूमि का आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है तथा नियमों के विपरीत जो भी आवंटन किया गया होता है वह काबिले निरस्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट स. 1 व 2 के पक्ष मे मौजा भटवाडा का खसरा न. 512 मे से 0.2022 है0 कृषि भूमि का आवंटन प्रशासन गांवो के संग अभियान में किया गया, को निरस्त किया जाने के आदेश फरमावें।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट की ओर अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा न. 512 रकबा 0.2022 हे0 पर रेस्पोडेण्ट का पुराना कब्जा काश्त था जिस आधार पर प्रशासन गांवो के संग अभियान में नियमानुसार वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्ट को आवंटित की गई है। आवंटन के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। अपीलाण्ट ने अपनी दखास्त में fraud & misrepresentation कैसे व किस प्रकार हुआ के सम्बन्ध में कोई तथ्य नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। प्रशासन गांवो की तरफ अभियान में दिनांक 24.11.21 को आवंटन कमेंटी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट का पुराना कब्जा एवं काश्त और पेनेल्टी रसीदो को देख नियमानुसार भूमि रेस्पोडेण्ट को अपीलाण्ट व समस्त गांव वासीयों के सामने आवंटित की है। रेस्पोडेण्ट ने आवंटन के समय किसी प्रकार कोई आपत्ती अथवा विरोध नहीं किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा बहस में आगे निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का कभी कब्जा नहीं रहा, वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्ट के कब्जे काश्त में थी जिस पर बरसौ से पेनल्टी भर काबिज चले आ कर निरन्तर उडद एवं तल की खेती करते आ रहे है तथा आज भी कर रहे है। वादग्रस्त भूमि के उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम दिशा तरफ रेस्पोडेण्ट का पत्थरों का परकोटा बना हुआ है, तथा दक्षिण तरफ रेस्पोडेण्ट के खाते का खसरा न. 511 की भूमि जूडी हुई है। रेस्पोडेण्ट द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना में भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।

8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रशासन गांव के संग अभियान– 2021 अन्तर्गत दिनांक 24.11.2021 को मिसल न. 494/2021 द्वारा मौजा भटवाडा खसरा न. 512 में से रकबा 0.2022 है0 भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी श्री फतेहसिंह पिता श्री शम्भूसिंह राजपूत, श्रीमती सुनीता कुंवर पत्नी फतहसिंह राजपुत, निवासी भटवाडा जिला डूंगरपुर को आवंटित हुई। आवंटित आराजी का न. 650/512 रकबा 0.2022 है0 दर्ज हुआ। अपीलाण्ट द्वारा आवंटित आराजी पर स्वंय का कब्जा काश्त होना एवं आवंटी द्वारा fraud/Misrepresentation से आवंटन कराना के आधार यह अपील प्रस्तुत कर आवंटन निरस्त कराने का निवेदन किया है। अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वंय के कब्जा काश्त के सम्बन्धित कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है।

इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा आवंटन को fraud/Misrepresentation होना बताया है जबकि नियम 14(4) राजस्थान भू––राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

ऐसा आवंटन जो कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा कराया हो या नियम विरूद्व किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो तो इस प्रकार के आवंटन को नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आवंटन fraud/ Misrepresentation होना साबित होता हो।

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना, विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं होना, आवंटी द्वारा fraud/Misrepresentation द्वारा आवंटन कराना तथा सुर्पुदगी नहीं किया जाना, एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो के पालना नहीं किया जाना अकंन किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्रो के कथनों में सम्बन्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं।साथ ही अपीलाण्ट की ओर से अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में एवं बहस में दी गयी दलीलों की पुष्टि में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त साबित होता है। अपीलाण्ट की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है यह कैसे माना जा सकता है कि अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा आवंटन को fraud/ Misrepresentation होना बताया है जबकि नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत ऐसा आवंटन जो कपट अथव मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा कराया हो या नियम विरूद्व किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो, इस प्रकार के आवंटन को नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिसके आधार पर आवंटन fraud/ Misrepresentation होना साबित होता हो। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार के पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसाल न 494/2021 दिनांक 24.11.2021 को मौजा भटवाडा की आराजी नम्बर 512 में से नवीन आराजी नं. 650/512 रकबा 0.2022 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट को आवंटन की गयी भूमि के आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
डूंगरपुर